कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)

क्र0 / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 2022–23 / 2912 **कोरबा, दिनांक** 16-8-2022

प्रति,

उपसंचालक,
जिला जनसम्पर्क विभाग कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2022–23 की ऑनलाईन स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोरबा जिले में संचालित समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, आई.टी.आई, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं डाईट में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके। इस हेतु जिले के बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न – विज्ञप्ति।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

क्र0 / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 2022–23 / 2913 **कोरबा, दिनांक** 16-8-2022

प्रतिलिपि,

01. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनु0जा0 विकास विभाग अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. **सर्व प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय**.. महाविद्यालय, आई.टी.आई, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं डाईट जिला –कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/8/22

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

//प्रेस विज्ञप्ति//

वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति (तिथि वृद्धि की सूचना)

कोरबा जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेक्निक, आई.टी.आई एवं डाईट आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनालाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना है। जिले में संचालित कुछ पाठ्क्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के फलस्वरूप तिथि में वृद्धि की गई है।

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीनीकरण पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित कर समय–सीमा में वृद्धि की गई है :–

क्र0	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक
2.	संस्था द्वारा Draft Poposal Lock करने हेतु	दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 10.10.2022 तक
3.	संस्था द्वारा Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 20.10.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022–23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock तथा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :–

1. पूर्व में जारी विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को National Scholarship Portal पर पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नये निर्देशानुसार अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों को केवल राज्य पोर्टल पर ही आवेदन किया जाना है। पूर्व में जिन विद्यार्थियों द्वारा National Scholarship Portal पर आवेदन किया जा चुका है उन विद्यार्थियों को भी पुनः राज्य पोर्टल पर आवेदन किया जाना है।
2. वर्ष 2021–22 से छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS द्वारा आधार आधारित भुगतान की जा रही है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने समय आधार से लिंक बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)